मध्यप्रदेशग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवंग्रामीणविकासविभाग के अधीन)
पर्यावासभवन, खण्ड-2, पंचमतल, अरेराहिल्स, भोपाल

क्र.9683/22/वि-12/ग्रासविप्रा./ई-10/22भोपाल, दिनांक15/07/2022

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय में शासकीय वाहनों की सर्विसिंग एवं सुधार कार्य किये जाने हेतु दिनांक 01/08/22 को दोपहर 3:00 बजे तक ख्याती प्राप्त ऐजेंसियो से निम्न कार्य हेतु दो लिफाफा (तकनीकी वीड एवं वित्तीय विड पृथक–पृथक) पद्वति के माध्यम से मुहर बंद कोटेशन आमंत्रित किये जाते है, जिसमें न्यूनतम दरें प्रस्तुत करने वाली ऐजेंसियो से सर्विसिंग एवं सुधार कार्य कराया जावेगा। उक्त कोटेशन दिनांक 01.08.22 को अपरान्ह 4:00 बजे उपस्थित कोटेशन प्रस्तुतकर्ताओं के समक्ष खोले जावेगें:–

प्रपत्र–1

स.क.	कार्य का विवरण	वाहन का प्रकार एवं प्राप्त दर रू. अंको में							
		मारूति जिप्सी (1 वाहन)	प्राप्त दर रू. अंको में	मारूति एस एक्स -4 (1 वाहन)	प्राप्त दर रू. अंको में	इनोवा किस्टा टोयटा (3 वाहन)	दर रू. अंको में	शेवरले एव्यू Chevrolet Avo (1 वाहन)	दर रू. अंको में
1	जनरल सर्विसिंग का कार्य								
2	एसी/गैस चार्जिग का कार्य								
3	गैयर /लीवर का कार्य								
4	पार्ट ऑपरेटिंग/फिटिंग का कार्य								
5	व्हील बैलेसिंग/अलाइमेंट का कार्य								
6	बुशिंग /ब्रेक पेड का कार्य								
7	क्लच एवं ब्रेक मरम्मत का कार्य								
8	वाहन में डेटिंग पेटिंग का कार्य								
9	बम्फर का कार्य								
10	वाहन में बूशिंग का कार्य								
11	म्यूजिक सिस्टम का कार्य								
12	स्टेयरिंग का कार्य								
13	कूलैंट का कार्य								
14	एयर फिल्टर ऑयल								
15	गेट रिपेयरिंग का कार्य								
16	ऑटो इलेक्ट्रिक/लाइट बल्ब चेंज करने का कार्य								
17	हॉर्न संबंधी कार्य								
18	साइड ग्लास बदलने एवं सुधार का कार्य								
19	इंडीकेटर सुधार एवं बदलेने का कार्य								
20	सम्पूर्ण वायरिंग का कार्य								
21	व्हील लॉकर बलने का कार्य								
22	बिलरेप बदलने का कार्य								
23	सामने /पीछे का ग्लास बदलने का कार्य								
24	ग्लास विंडो लीवर लगाने का कार्य								
25	बैटरी चार्जिंग का कार्य								
26	वाहन को खीचकर लाना प्रति								

27	रेडियेटर का कार्य								
28	फेनरबेल्ट बदलने का कार्य								
29	शॉकअप बदलने का कार्य								
30	शॉकअप मरम्मत का कार्य								
31	डिकी लॉक बदलने का कार्य								
32	डिकी शॉकअप बदलने का कार्य								

शर्ते

1. निविदा दो लिफाफा पद्धति के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित की जाती है।
   अ) डी.डी. ब) वित्तीय दर
2. कोटेशन के साथ रू. 5000/–का धरोहर/ परफारमेंस सिक्यूरिटी हेतु डिमांड ड्राफ्ट का लिफाफा (अ) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. वित्तीय ऑफर का लिफाफा (ब) होना आवश्यक है।
4. कोटेशन प्रदाय कर्ता के पास फार्म का नगर निगम में पंजीयन, आयकर विभाग का पेन नम्बर, जीएसटी का कोड़ नम्बर, होना आवश्यक है।
5. निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. उक्त सामग्री की प्राप्त दरें को पूर्णतः स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एव मान्य होगा।

अन्य शर्ते

1. **वाहन सर्विसिंग कार्य एवं सुधार कार्य की दरें**	(1) वाहन में सर्विसिंग एवं सुधार कार्य एवं शासन के समस्त करों (जी.एस.टी. छोड़कर) एवं अन्य प्रभार पर होने वाले समस्त व्यय सम्मिलित होंगे।जी.एस.टी. शासन के नियमानुसार पृथक से देय होगा ।
2. **निविदा स्वीकृति**	(1) निविदा स्वीकृति की सूचना के 10 दिवसों के अंदर अनुबंध नहीं किये जाने की दशा में, निविदादाता की धरोहर राशि प्राधिकरण के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी। (3) वाहन में सर्विसिंग एवं सुधार हेतु निविदा में उल्लेखित श्रेणी में वाहन की दरें अंकित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

3. **परफारमेन्स सिक्यूरिटी जमा राशि एवं अनुबंध निष्पादन**	(1) सफल निविदाकार की **धरोहर राशि** प्राधिकरण के पास सुरक्षा के रूप में जमा रहेगी। धरोहर राशि को परफारमेन्स सिक्यूरिटी में समाहित किया जा सकेगा। (2) परफारमेन्स सिक्यूरिटी की राशि प्राधिकरण के पास जमा रहेगी। यह सफलतापूर्वक कार्य समाप्ति पर अनुबंधकर्ता को वापस की जा सकेगी। (3) निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र एवं वाहन सर्विसिंग एवं सुधार कार्य फर्म द्वारा प्रस्तुत अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे। (निविदा स्वीकृति के आधार पर अनुबंध निष्पादन करने वाले निविदादाता को **"अनुबंधकर्ता"** शब्द से संबोधित किया जावेगा।) (4) असफल निविदाकारों की धरोहर राशि निविदा पर निर्णय के एक सप्ताह के अंदर वापस कर दी जावेगी परन्तु द्वितीय न्यूनतम दर देने वाले निविदाकार की धरोहर राशि स्वीकृत निविदा के पश्चात् न्यूनतम निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित किये जाने के बाद ही वापस की जावेगी ।
4. **अनुबंध की अवधि**	(1) अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से आगामी दो वर्ष की होगी। अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व कभी भी अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। (2) वाहन में सर्विसिंग एवं सुधार कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत दोनों पक्षों की सहमति से अनुबंध की अवधि आगामी एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। (3) अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों/शासकीय नियमों/अधिनियमों/कर प्रावधानों एवं अन्य शासकीय प्रावधानों इत्यादि के उल्लंघन की स्थिति में अनुबंधकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के उपरांत दोषी पाये जाने पर उनका अनुबंध समाप्त किया जाकर उनकी परफारमेन्स सिक्यूरिटी जब्त कर ली जावेगी। इसके साथ अनुबंध समाप्ति के दिनांक को, अनुबंधकर्ता ऐजेन्सी को देय समस्त

	राशियॉ जब्त की जा सकेंगी। (4) अनुबंध निष्पादन के उपरान्त वाहन में सर्विसिंग एवं सुधार किसी भी समय कराया जाना होगा। यदि वाहन में सर्विसिंग एवं सुधार नहीं किये जाने की स्थिति में इसे अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन माना जाएगा। इस स्थिति में अनुबंध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त कर सेवा प्रदाता द्वारा जमा की गई परफार्मेन्स सिक्यूरिटी पूर्णतः अथवा समानुपातिक रूप से, राजसात कर ली जावेगी तथा सेवा प्रदाता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने वाली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही ऐसी स्थिति में जब तक नई ऐजेन्सी निर्धारित नहीं हो जाती तब तक खुले बाजार से वाहन में सर्विसिंग एवं सुधार व्यवस्था की जाएगी एवं इस पर अतिरिक्त व्यय होने वाली अंतर की राशि (यदि हो तो) अनुबंधकर्ता से वसूली योग्य होगी।
5. **वाहनों की सुधार अवधि में सुरक्षा**	(2) प्राधिकरण मुख्यालय के शासकीय वाहनों सुधार एवं सर्विसिंग हेतु सुरक्षा सर्विसिंग अवधि में अनुबंध कर्ता की होगी। वाहन की सुरक्षा, रखरखाव, मरम्मत एवं टूट–फूट/दुर्घटना इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
6. **नियंत्रण**	(1) वाहन सर्विसिंग एवं सुधार फर्म का आचरण/व्यवहार शालीन एवं मर्यादित होना चाहिये। प्राधिकरण के वाहन चालक एवं वाहन प्रभारी अधिकारी के प्रति व्यवहार आज्ञाकारितापूर्ण होना चाहिए। (2) अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुबंधों की शर्तों का उल्लंघन करने पर उन्हें, अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उनका अनुबंध समाप्त कर कंडिका 8(3) के अनुसार कार्यवाई की जावेगी।
8. **वाहन में सुधार के पश्चात् देयक का भुगतान**	(1) वाहन में सर्विसिंग /सुधार कार्य का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात्, सत्यापेन उपरांत अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर, संबंधित देयक के, वाहन प्रभारी अधिकारी द्वारा बिल के सत्यापन के पश्चात् एवं टीडीएस काटकर प्राधिकरण द्वारा अकाउन्ट पेई चैक/आर.टी.जी.एस. से किया जावेगा। जी.एस.टी. का भुगतान शासन के प्रचलित नियमों के तहत किया जाएगा। (2) जी.एस.टी. का उल्लेख यद्यपि देयक में पृथक से करना होगा लेकिन इसका भुगतान देयक के साथ नहीं किया जाएगा। सर्वप्रथम

	संबंधित एजेंसी द्वारा जी.एस.टी. की राशि अपनी तरफ से जमा करना होगी एवं इसकी रसीद प्रस्तुत करने पर इसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।
9. **अन्य / विविध**	(1) अनुबंधकर्ता एजेंसी को अनुबंध के तत्काल बाद अपने किसी एक प्रभारी / कर्मचारी नाम एवं मोबाईल फोन नम्बर उपलब्ध कराना होगा, जिसका मोबाईल नम्बर सदैव चालू रखना अनिवार्य होगा। किसी भी अधिकारी का फोन अटेण्ड न करना अनुबंध का उल्लघंन माना जायेगा। (2) ई.पी.एफ. कार्यालय के प्रति नियोक्ता का संपूर्ण उत्तरदायित्व, संबंधित अनुबंधकर्ता का होगा। (3) निविदा चयन का आधार न्यूनतम दर होगी ।
10. **पक्षकारों के मध्य विवाद का निराकरण**	प्राधिकरण एवं अनुबंधकर्ता के मध्य निष्पादित अनुबंध के नियमों, शर्तो का पूर्णतः पालन न होने, Breach of Contract की स्थिति होने अथवा अन्य किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

16/अग

महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेशग्रामीणसड़कविकासप्राधिकरण,
भोपाल